उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 11/2016/755 /अडतीस-7-2016-176नरेगा/2009

लखनऊ: दिनांक: 20 मई, 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक: 07-09-2009 के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में शासन के पत्र संख्या -346/अडतीस-7-2014-176नरेगा/2009 दिनांक: 07-02-2014 द्वारा लोकपाल की तैनाती की गयी थी। शासन के पत्र संख्या -36/अडतीस-7-2016-176नरेगा/2009 दिनांक: 20-01-2016 द्वारा आवंटित जनपद हेतु निम्नांकित 03 लोकपालों की सेवा अवधि दिनांक: 06-02-2016 से आगे 01 वर्ष के लिए(दिनांक: 05-02-2017 तक) बढाते हुए संबंधित जनपदों का लोकपाल तैनात किया जाता है:-

क्रसं0	लोकपाल का नाम एवं पता	आवंटित मूल जनपद	मूल जनपद के अतिरिक्त रूप से आवंटित अन्य जनपदों का विवरण
1	2	3	4
1	डा0 सत्य प्रकाश श्रीवास्तव , ग्राम-रठैना, पो0-भवानीगंज, तह0-डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	संतकबीरनगर, बस्ती
2	श्री विभूति कुशवाहा, ग्राम व पो0-सिरसिया, खोहिया, कुशीनगर	कुशीनगर	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, हापुड, बुलन्दशहर, अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत
3	डा0 भूलन शर्मा, 18/25, स्टैनलीरोड, जजेज कालोनी, इलाहाबाद	इलाहाबाद	कौशाम्बी, फतेहपुर,चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा

2- इस संबंध में लोकपाल की तैनाती विषयक पूर्व निर्गत आदेश दिनांक: 20-01-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 11/2016/755 (1)/अइतीस -7-2016 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।**
2. **निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/ निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।**
4. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
6. **अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लोकपाल की तैनाती हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं दिशा निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत् करने का कष्ट करें।**
7. **निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन सुनिश्चित करायें।**
8. **ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।**
9. **संबंधित लोकपालगण।**
10. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।